RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २३(४)] **सोमवार, जुलै २४, २०१७/श्रावण २, शके १९३९** **[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ३६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २४ जुलाई २०१७ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :–

L. A. BILL No. XXXVIII OF 2017.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBERS DISQUALIFICATION ACT, 1986.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३८ सन् २०१७।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था, कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और

सन् १९८७ का महा. २०।

इसलिए, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, १ जुलाई २०१७ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) यह १ जुलाई २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन।

२. (क) महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १८८६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया हैं।) की धारा ७, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी, और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) में, " दो किसी अन्य पार्षद के मामले में " या कोष्टकों, अक्षरों और शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८७ का महा. २०।

" (दो) किसी अन्य पार्षद या सदस्य के मामले में, कलक्टर को, उसके विनिर्णय के लिये निर्देशित किया जायेगा :";

(ख) इस प्रकार पुनःक्रमांकित की गई उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी,—

" (२) आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर का निर्णय, तुरंत ही, सभी संबंधितों को संसूचित किया जायेगा।

(३) आयुक्त या कलक्टर के निर्णय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा।"।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं। सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (सन् १९८७ का २०), स्थानीय प्राधिकरणों में से पक्षत्याग रोकने के लिये अधिनियमित किया गया हैं। उक्त अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१), स्थानीय प्राधिकरणों के पार्षद या सदस्य बनने के लिये, निरर्हता के लिये, पक्षत्याग करने के आधारों का उपबंध करती हैं। धारा ३क की उप-धारा (१) यह उपबंध करती हैं कि, यदि, किसी राजनीतिक पक्ष या **आघाडी** या फ्रन्ट से जुड़ा हुआ पार्षद या सदस्य, धारा (३) की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन निरर्ह होता हैं, तो वह उसकी निरर्हता के दिनांक से छह वर्षों के लिये, पार्षद या सदस्य बनने के लिये निरर्ह होगा।

२. उक्त अधिनियम की धारा ७ यह उपबंध करती हैं कि, नगर निगम के पार्षद के मामले में आयुक्त और किन्हीं अन्य पार्षद या सदस्य के मामले में, कलक्टर का, ऐसी निरर्हता से संबंधित निर्णय अंतिम होगा।

ऐसे निर्णय के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति को अपील प्रस्तुत करने के लिये, अवसर देने के लिये उपबंध करना विचाराधीन था।

इसलिए, यह उपबंध करना इष्टकर समझा गया था कि, आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर के निर्णय द्वारा व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से, तीस दिनों की अवधि के भीतर, राज्य सरकार को, अपील प्रस्तुत कर सकेगा। तद्नुसार, इस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा ७ में, संशोधन करना प्रस्तावित था।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (सन् १९८७ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११) महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा १ जुलाई, २०१७ को प्रख्यापित किया गया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना हैं।

मुंबई,
दिनांकित १८ जुलाई, २०१७।

पंकजा मुंडे,
ग्राम विकास मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद)
श्री. हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २४ जुलाई, २०१७।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.